यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-1 देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-1 देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ) एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.07.2020 से 28.07.2020 तक श्री शशिकान्त पांडे, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविंद कुमार सिंह एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 23.10.2019 से 04.11.2019 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह ----- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	1480.28
2018-19	2323.91
2019-20	3051.88

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A'श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त राज्य कर**>** अपर आयुक्त राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त राज्य कर**>** उपायुक्त राज्य कर **>**सहायक आयुक्त राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-1 देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-1 देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ------ विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर -1: कर का न्यूनारोपण ₹1.57 लाख।

प्रस्तर -2: कर का अनारोपण रु0 13.35 लाख।

प्रस्तर-3 : कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का अनारोपण ` 0.70 लाख।

प्रस्तर-4 : आई0 टी0 सी0 का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं गलत आईटीसी (ITC) का दावा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण के कारण राजस्व क्षति रु0 3.70 लाख।

प्रस्तर -5 : देय उपकर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण रु0 0.69 लाख।

प्रस्तर- 6 : व्यापार खाते में गलत विवरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का अनारोपण `1.24 लाख।

प्रस्तर- 7 : ` 2.37 लाख के कर के न्यूनारोपण के कारण अधिक रिफ़ंड स्वीकृत किया जाना।

प्रस्तर -8 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण रु0 1.26 लाख।

प्रस्तर- 9 : कम कर जमा करने के फलस्वरूप रु 2.16 लाख की राजस्व क्षति।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)
शून्य

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 1: कर का न्यूनारोपण ₹1.57 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -1 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि

1. सर्वश्री कपूर ट्रेडर्स (टिन: 05013530458): व्यापारी की वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावली में फाइबर ग्लास की ` 11,26,148/-की बिक्री पर 5% की दर से ` 56,308/- की कर देयता निर्धारित की गई है जबकि फाइबर ग्लास के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनूसूची में शामिल न होने के कारण, इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः ` 11,26,148/- की फाइबर ग्लासकी बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से ` 95,723**/-** का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

2. सर्व श्री एमिनेंट इंटरप्राइजेज़ देहरादून (टिन 05015574345, क.नि. वर्ष 2015-16) का व्यापार इलैक्ट्रिकल एम सी बी बॉक्स आदि की खरीद विक्री का था। व्यापारी ने संगत वर्ष मे उक्त वस्तुओं का कुल क्रय रु 474642.00 (आयातित ₹ 29036.00 सहित) की घोषित की थी। व्यापारी को ₹ 59925.00 की आइटीसी स्वीकृत की गयी थी। व्यापारी के पास उपस्थित स्टॉक अवशेष ₹ 283429.00 का था जिस पर लाभांश जोड़ते हुए ₹ 425114.00 पर पूर्ण दर से कर आरोपित किया जाना था। इसके अतिरिक्त संगत वर्ष मे कुल ₹ 217288.00 की घोषित विक्री पर 5% की दर से कर आरोपित किया गया। उल्लेखनीय है की इलैक्ट्रिकल एम सी बी बॉक्सवैट अधिनियम की किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित नहीं होने के कारण 13.5% की दर से कर आरोपणीय था। पुनः विभाग ने उपस्थित स्टॉक अवशेष ₹ 425114.00 पर कर न आरोपित कर ₹ 300000.00 पर कर आरोपित किया। इस प्रकार इलैक्ट्रिकल एम सी बी बॉक्स की विक्री ₹ 217288/- पर 8.5% के अंतरीय

दर से ₹ 18469.48 का कर आरोपणीय है। पुनः स्टॉक अवशेष ₹ 125114(425114.00-300000) पर 13.5% के दर से एवं ₹ 300000.00 पर अंतरीय दर 8.5 की दर से कर क्रमशः ₹ 16890.39 एवं ₹ 25500.00 अर्थात कुल कर ` 60,860/- है। नियमानुसार ब्याज भी वसूली योग्य है।

उपरोक्त प्रकरणों के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा। अतः कर के न्यूनारोपण के कारण ` 1.57 लाख (₹ 156583 (95723+60860)) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 2: कर का अनारोपण रु0 13.35 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा एवं उक्त अधिनियम की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -1 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री अरविंद एंटरप्राइजेज़ कनाट प्लेस, देहरादून (टिन: 05012390223) की वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावली में पर्दे (curtain) की ` 98,91,317/-की बिक्री को कर मुक्त मानते हुए कोई भी कर आरोपित नहीं किया गया है**,** जबकि पर्दे **(**curtain**)** के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनूसूची में शामिल न होने के कारण**,** इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

अतः ` 98**,**91**,**317**/-** की पर्दे **(**curtain) की बिक्री पर 13.5% की दर से ` 13,35,328/- का कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया की <u>परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा</u>। अतः कर के अनारोपण के कारण ` 13.35 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर- 3 : कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का अनारोपण ` 0.70 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यंवर्जित कर अधिनियम 2005 की धारा,4 (i) (b) की अनुसूची - III के अनुसार लीकर की बिक्री पर 20% की दर से कर देयता निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -1 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी सर्वश्री एलाईड निधि स्पिरिट्ज़ एंड ब्रेवेरीज द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में आरंभिक रहतिया (` 8,54,640/-) एवं अंतिम राहतिया (` 8,05,750/) में आयातित एवं प्रांतीय लीकर का विवरण पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 की चतुर्थ तिमाही (January - March 2016) में ` 6,04,888/- की प्रांतीय लीकर की खरीद की थी। तथापि उक्त चतुर्थ तिमाही में प्रांतीय लीकर की कोई भी बिक्री प्रदर्शित नहीं की गई थी। अतः, यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के कुल अंतिम रहतिया ` 8,05,750/- में से ` 6,04,888/- का स्टॉक प्रांतीय लीकर का था, अर्थात अंतिम रहतिया में आयातित लीकर का स्टॉक ` 2,00,862/- (8,05,750 - 6,04,888) का था। कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में आयातित लीकर की खरीद ` 18,52,772/- की थी। यदि आयातित लीकर का आरंभिक रहतिया शून्य भी मान लिया जाय एवं संगत अवधि में खरीदा गया आयातित लीकर बिना किसी लाभ के भी बिक्रय किया जाय तो भी इसकी न्यूनतम बिक्री ` 16,51,910/- (18,52,772 - 2,00,862) की होनी चाहिए, परंतु कर निर्धारण आदेश में आयातित लीकर की कुल बिक्री ` 13,01,453/- की प्रदर्शित की गई थी एवं इस राशि पर 20% की दर से ` 2,60,290.60 का करारोपण किया गया था। इस प्रकार ` 3,50,456.40 (₹ 1651910-1301453) की आयातित लीकर की बिक्री कम दर्शाई गई थी। अतः, आयातित लीकर की ` 3,50,456.40 की बिक्री पर 20% की दर से ` 70,091/- से कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा</u>। अतः कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर के अनारोपण से ` 0.70 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर- 4 : आई0 टी0 सी0 का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं गलत आईटीसी (ITC) का दावा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपणके कारण राजस्व क्षति रु0 3.70 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 के प्रतिबंधित प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ केवल एक पंजीकृत ब्योहारी को ही अनुमन्य होगा, और किसी ब्योहारी द्वारा पंजीकृत होने के पश्चात किसी कर अवधि के लिए देय कर की गणना करने के प्रयोजन से ऐसे पंजीकृत ब्योहारी को अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या ऐसे विक्रय जैसा की विहित किया जाये से भिन्न, ऐसे समस्त कराधेय विक्रय के बारे में जमा किए गए अथवा देय कर के संबंध में इनपुट टैक्स का लाभ, जैसा की इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन अवधारित किया जाएगा, अनुमन्य होगा। उक्त अधिनियमकी धारा 6(3) (ई) के प्रतिबंधित प्रावधानों की अनुसार कराधेय माल के उत्पादन या कैपटिव पावर के ईंधन के रूप में उपयोग किए गए पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ़्यूल, प्राकृतिक गैस और डीज़ल को छोडकर) और अन्य ईंधन के क्रय पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए गए कर के संबंध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा, लेकिन इसमें मोटर यानों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त ईंधन सम्मिलित नहीं होगा।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(**x**i) के अनुसार यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो वह व्यौहारी अर्थदण्ड के रूप में पाँच हज़ार रुपए या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि**,** जो भी अधिक हो**,** का भुगतान करेगा ।

1. **सर्वश्री मेहता ऑटो सेंटर (टिन: 05013105695): कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-1**, राज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान उक्त व्यापारी के 2016-17 के प्रांतीय कर निर्धारण वाद की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा

Lubricants की `1,89,407/- की खरीद पर 20% की दर से ` 37,881/- की दावाकृत आई.टी.सी. को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था किन्तु उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार Lubricants (जो अनुसूची III से आच्छादित है) की खरीद पर ` 37,881/- की आई.टी.सी. का लाभ प्रदान किया जाना विधिनुकूल नहीं है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा। अतः, उपरोक्त राशि राजकोष में जमा कराने योग्य है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 58(1)(**xi**) के अनुसार गलत दावा की गई ITC की उक्त राशि का तीन गुना अर्थात ` 1,13,643/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

2.सर्वश्री इंद्रलोक होटल प्रा. लि.(टिन: 05000345248): कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -1 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री इंद्रलोक होटल प्रा. लि. (टिन: 05000345248) द्वारा चारकोल की ` 452962/- की खरीद पर दवाकृत ` 22648 की आई.टी.सी. को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था किन्तु उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार फ्युल (चारकोल) की खरीद ` 452962/ पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए गए कर के संबंध में आंशिक आई.टी.सी.` 13589/- (22648- 9059) का लाभ अनुमन्य होगा। अतः व्यापारी को ` 9059/- (` 22648- `13589) की आईटीसी का अधिक लाभ अनुमन्य किया गया है जो राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है इसके अतितिक्त अधिनियम की धारा 58(1)(**x**i) के अनुसार गलत दावा की गई ITC की उक्त राशि का तीन गुना अर्थात ` 27,177/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

3. सर्व श्री एस एस इंटरप्राइजेज़ देहरादून (टिन 05000404030, क.नि॰ 2016-17) का व्यापार इलैक्ट्रिकल गुड्स की खरीद विक्री का था। व्यापारी ने संगत वर्ष मे कुलखरीद रु 3200791.28 (1075843.71 @ 14.5% + 1022593.24 @ 13.5 + 1102354.33 @ 5%) की। कुल बिक्री रु 3647119.50.00 की घोषित की। स्वीकृत आई टी सी रु 349164.00 की थी। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची की जांच मे पाया गया की 13.5% की दर से कुल खरीद मात्र रु 906425.00 की, 14.5% की

दर से कुल खरीद मात्र रु 864851.00 एवं 5% की दर से कुल खरीद मात्र रु 1116527.00 की थी । तदनुसार कुल देय आई टी सी रु 303597.11 (क्रमशः 122367.37+125403.39+55826.35) है। इस प्रकार रु 45566.89 (349164-303597.11) की आई टी सी वापस करने योग्य है। उक्त पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त प्रकरणों के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा।

अतः ` 92,607 (37,881 + 9,059 + 45,567) की आई0 टी0 सी0 का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं उक्त आईटीसी (ITC) का गलत दावा करने पर अर्थदण्ड ` 2,77,821/- (92,607x 3) के कारण कुल रु0 3,70,428/- (92,607 + 2,77,821) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 5 : देय उपकर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण रु0 0.69 लाख।

उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति जो अनूसूची-I या अनूसूची-II में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय करता हो और जो उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत हो अथवा पंजीकरण हेतु दायी हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा की विहित किया जाय, उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।जहां कोई विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता उपकर की वसूली करने में असफल रहता है या इस धारा के अंतर्गत ऐसे उपकर को जमा करने में असफल रहता है तो वह धारा 3(3)(ख) के तहत ऐसे उपकर को ब्याज तथा उपकर के दुगुने से अनधिक अर्थदण्ड के साथ जमा करने के लिए दायी होगा।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 193/2016/17(120)/XXVII(8)/2014 दिनांक 02 मार्च 2016 के अनुसार अनुसूची -II के क्रम सं 1 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार सभी प्रकार की शराब पर उपभोक्ताको विक्रय के बिन्दु पर माल के मूल्य का 2% उपकर उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त **(**कर निर्धारण**),** खंड-1**,** राज्य कर देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री रिवरस्टोन रीट्रेट द्वारा वर्ष 2016-17 में ` 59**,**28**,**852/- की प्रांतीय लीकर की बिक्री की गई है जिसमे से ` 47**,**71**,**589/- की ही बिक्री के चालान लगाए गए है जिस पर 2% की दर से ` 95**,**437/- का उपकर जमा कराया गया है**,** किन्तु ` 11**,**57**,**263/- की बिक्री पर कोई भी उपकर जमा नहीं किया गया है। अतः ` 11**,**57**,**263/- की बिक्री पर 2% की दर से कुल उपकर ` 23**,**145/- एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। देय उपकर के अतिरिक्त उपकर का दोगुना अर्थात ` 46**,**290/- (23**,**145 **x** 2) अर्थदण्ड भी देय है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा</u>। अतः देय उपकर एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से ` 69,435/- (23145 + 46290) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 6 : व्यापार खाते में गलत विवरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का अनारोपण `1.24 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-1, राज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान उक्त व्यापारियों के 2016-17 के प्रांतीय कर निर्धारण वाद की जांच में पाया गया कि

1. **व्यापारी सर्वश्री जिनिसिस मेडिटेक** द्वारा अपनी व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार से घोषित की गयी है:

(राशि ` में)

माल का विवरण	**आ. रहतिया**	**खरीद**	**बिक्री**	**अं. रहतिया**
5%	शून्य	336810	673300	शून्य
14.5%	शून्य	125830 आयातित खरीद 122400	शून्य	शून्य
योग	शून्य	585040	673300	शून्य

उपरोक्त विवरणी के अनुसार व्यापारी द्वारा 14.5% की दर से ` 248230/- की खरीद की गयी है किन्तु इसकी कोई भी बिक्री करना नहीं दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त अंतिम रहतिया भी शून्य दर्शाया गया है, अतः ` 248230/- की 14.5% की खरीद को बिना किसी लाभ के भी मान लिया जाय तब भी ` 248230/- पर 14.5% की दर से ` 35,993/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

2. **सर्वश्री विध्या ग्राफिक** द्वारा अपनी व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार से घोषित की गयी है:

माल का विवरण	**आ. रहतिया**	**खरीद**	**बिक्री**	**अं. रहतिया**
5%	301200	447502	1888263.50	9856
13.5%	शून्य	2750	शून्य	शून्य
14.5%	शून्य	8315 आयातित खरीद 594910	शून्य	शून्य
योग	301200	1053477	1888263.50	9856

उपरोक्त विवरणी के अनुसार व्यापारी द्वारा 13.5% एवं 14.5% की दर से ` 605975/- की खरीद की गयी है किन्तु इसकी कोई भी बिक्री करना नहीं दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त अंतिम रहतिया भी शून्य दर्शाया गया है, अतः ` 605975/- की 14.5% की खरीद को बिना किसी लाभ के भी मान लिया जाय तब भी ` 605975/- पर 14.5% की दर से ` 87,866/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त प्रकरणों के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा। अतः व्यापार खाते में गलत विवरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कर के अनारोपण से ` 1,23,859 (35,993+87,866) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 7 : ` 2.37 लाख के कर के न्यूनारोपण के कारण अधिक रिफ़ंड स्वीकृत किया जाना।

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 8 के पत्रांक 675/2015/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 10 अगस्त 2015 द्वारा अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों के संबंध में दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2016 तक की अवधि के लिए उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7 (2) के अंतर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए है।

उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4 **(**ii**)**के अनुसार, ऐसा संविदाकार जिसके द्वारा संविदा के निष्पादन में आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और जिसके द्वारा 4 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का विकल्प लिया गया है**,** के द्वारा सम्पन्न संविदा की धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का आयात करके संविदा में प्रयोग किया गया है अथवा उसके द्वारा एवं उसकी उप संविदाकार द्वारा प्रयोग किए गए आयातित माल का योग**,** सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा के निष्पादन में प्राप्त होने वाली सकल धनराशि पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि (ब्याज सहित) जमा करेंगे।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -1 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी (संविदाकार) सर्वश्री ए0 के0 बिल्ड सोल्युशंस प्रा0 लि0, देहरादून को कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में प्राप्त वर्क ऑर्डर के विरुद्ध ` 1,18,33,278/- के भुगतान पर 4% की दर से ` 4,73,331/- का समाधान शुल्क निर्धारित किया गया है, परिणामस्वरूप ` 1,05,288/- का रिफ़ंड किया गया है।

उक्त संविदाकार द्वारा वर्ष 2015-16 में ` 11,91,287/- (21,750 + 11,69,537) के माल का प्रांत बाहर से आयात किया गया है जो संगत वर्ष हेतु प्राप्त भुगतान `1,18,33,278/- के 5% से अधिक है। अतः,उपरोक्त वर्णित समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त भुगतान पर 6% की दर से ` 7,09,997/- कर आरोपणीय था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। अतः उपरोक्त संविदाकार द्वारा प्राप्त ` 1,18,33,278/- के भुगतान पर अंतरीय दर 2% (6-4) से कर ` 2,36,666/- आरोपणीय है। उक्त कर के अनारोपण के कारण संविदाकार को ` 1,05,288**/-** का रिफ़ंड अनुमन्य कर दिया गया है जबकि उक्त संविदाकार द्वारा ` 1,31,178/- (2,36,666-1,05,288**)** ब्याज सहित जमा किया जाना अपेक्षित था।। इस प्रकार अधिक रिफ़ंड की गई राशि ` 1,31,178/- उक्त संविदाकार द्वारा देय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा</u>। अतः ` 2.37 लाख के कर के न्यूनारोपण के कारण ` 1,31,178/- अधिक रिफ़ंड स्वीकृत किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 8 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण रु0 1.26 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त रु0 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त रु0 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में:-

(i) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि देय कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि देय कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा (दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)

(ii) यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा। (दिनांक 31.03.2015 से)

(iii) यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा। (दिनांक 31.03.2015 से)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार, स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जाएगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अंतिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड - 1, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 12,70,586/- को विलंब से जमा किया गया था। अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 1,23,588/- का अर्थदण्ड एवं ₹ 2,803**/-** का ब्याज अर्थात कुल ₹ 1,26,391/- (₹ 1,23,588 + 2,803) आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। (विवरण संलग्न तालिका में उपलब्ध)।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>परीक्षणोपरांत ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रेषित किया जाएगा</u>।

अतः,देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज के अनारोपण से रु0 1.26 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 9 : कम कर जमा करने के फलस्वरूप रु 2.16 लाख की राजस्व क्षति।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खंड-I देहारादून के कर निर्धारण पत्रवालियों की जांच मे पाया गया की सर्व श्री राकेश मोहन भट्ट देहरादून (टिन 05012003872, क॰नि॰ 2016-17) का व्यापार रोड़ी बजरी की खरीद विक्री का था। संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा रु 7015727.00/- की खरीद घोषित की गयी। जिसके विरुद्ध रु 9365859.00/- की विक्री घोषित की गयी।तदनुसार कुल कर रु 826850.07/- आगणित किया गया जिसके विरुद्ध रु 733930.00 चालानो से जमा बताया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चालानो की जांच मे पाया गया की चालानो से केवल रु 518000.00/- ही जमा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

चालान संख्या	**जमा की गयी धनराशि**
0040071600284819	₹ 30,000/-
0040051600268507	₹ 40,000/-
0040061600280993	₹ 30,000/-
0040091600302376	₹ 40,000/-
0040101600317338	₹ 55,000/-
0040111600324517	₹ 50,000/-
0040011700350042	₹ 100000/-
0040021700359002	₹ 103000/-
0040031700371538	₹ 70,000/-
	₹ 5,18,000/-

इस प्रकार उपरोक्त चालानों के माध्यम से जमा राशि ₹ 5,18,000/- तथा व्यापारी को ₹ 64456/- ITC का लाभ देने तथा व्यापारी को गत वर्ष का ₹ 28604/- का लाभ देने के पश्चात ₹ 2,15790/- (₹ 826850-(₹ 518000+64456+28604)) का कर आरोपणीय होगा। अतः व्यापारी से ₹ 2,15,790/- कर एवं नियमानुसार ब्याज भी वसूली योग्य है।

विभाग ने उत्तर दिया की परीक्षणोपरांत आडिट आपत्ति का निराकरन प्रेषित किया जाएगा। प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
233/1988-89	01		
293/1990-91	01(अ),02,03,04,05,01(ब)		
34/1996-97	01,02		
132/2000-01	01		
65/2004-05	01	01,02,03,04	
89/2001-02	01		
30/2006-07	01,02		
02/2010-11	01	02,03,04	
01/2011-12		01	
30/2012-13		02,STAN-01,02	
44/2013-14		01,STAN-01,02,03	
28/2015-16		01,03,04,STAN-02	
21/2016-17		04,05,STAN-01,02,03,04	
92/2017-18		01,02,03,04,05,06,	
101/2018-19	01	01,02	
85/2019-20	01	01,02,03	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-1 देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलंब अवधि (दिन)	कर की राशि	ब्याज @15%	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	चगोरी इंडिया रीटेल लि.	05012432224	2016-17	Apr-16	20-May-16	30-Jul-16	70	33767.00	0.00	20.00	6753.40
				May-16	20-Jun-16	30-Jul-16	40	44457.00	0.00	20.00	8891.40
				Jun-16	20-Jul-16	30-Jul-16	10	49391.00	0.00	5.00	2469.55
				Jul-16	20-Aug-16	24-Nov-16	94	54558.00	0.00	20.00	10911.60
				Aug-16	20-Sep-16	24-Nov-16	64	57463.00	0.00	20.00	11492.60
				Sep-16	20-Oct-16	24-Nov-16	34	53301.00	0.00	20.00	10660.20
				Oct-16	20-Nov-16	22-Dec-16	32	61595.00	0.00	20.00	12319.00
				Nov-16	20-Dec-16	30-Dec-16	10	82562.00	0.00	5.00	4128.10
				Mar-17	20-Apr-17	23-May-17	33	34758.00	0.00	20.00	6951.60
2	तिरुपति रैस्टौरैंट	05000360671	2016-17	Apr-16	20-May-16	28-May-16	8	37238.00	0.00	5.00	1861.90
				Aug-16	20-Sep-16	31/10/2016	41	60493.00	1019.27	20.00	12098.60
3	D K SPORTS	05000315760	2016-17	Q1	20-Jul-16	27-Jul-16	7	72530.00	208.65	5.00	3626.50
				Q2	20-Oct-16	24-Oct-16	4	63625.00	104.59	5.00	3181.25
				Q3	20-Jan-17	25-Jan-17	5	125410.00	257.69	5.00	6270.50
				Q4	20-Apr-17	30-Apr-17	10	65040.00	267.29	5.00	3252.00
4	SATH ENTERPRISES	05016128797	2016-17	Q3	20-Jan-17	24-Jan-17	4	81950.00	134.71	5.00	4097.50
				Q4	20-Apr-17	30-Apr-17	10	197448.00	811.43	5.00	9872.40
5	GANPATI LIGHTS	05015827224	2016-17	Q2	20-Oct-16	05-Nov-16	15	95000	0.00	5.00	4750.00
						TOTAL		1270586.00	2803.62		123588.10
									GRAND TOTAL		**126391.72**